



कार्यालय रक्षा लेखा नियंत्रक (सेना), मेरठ छावनी

Office of CDA (Army)

बेलवेडीयर परिसर, आयुध पथ, मेरठ छावनी

Belvedere Complex, Ayudh Path, Meerut Cantt-250001
फोन नं. 0121-2646632 फैक्स नं. 0121-2646254, 2646216



कार्यालय आदेश भाग-II सं.- 450

Pt II OO NO.- 450

दि. 21.07.2016

Dt. 21.07.2016

विषय: पर्यवेक्षक(लेखा) के पद पर पदोन्नति : रक्षा लेखा विभाग स्था.

Sub: Promotion to the grade of Sup(A/Cs): DAD Estt.

रक्षा लेखा नियंत्रक (सेना), मेरठ, बतौर नियुक्ति प्रधिकारी ने एतद्वारा नीचे दिये गये वरिष्ठ लेखा परीक्षकों को उनके नाम के सामने दी गयी तिथि से 9300-34800(वेतन बैंड-II) +4800 ग्रेड वेतन के वेतनमान में पर्यवेक्षक(लेखा) के ग्रेड में पदोन्नति के आदेश दिये हैं:

The Controller of Defence Accounts (Army) Meerut Cantt, as appointing authority hereby promotes the under mentioned Sr. Auditors to the grade of Supervisor(A/Cs) in the pay scale of Rs 9300-34800(Pay Band-II) and Rs 4800(Grade Pay) w.e.f the date as mentioned against the individuals.

| क्रम सं/SI No. | नाम NAME | लेखा सं A/C No | कार्यालय Office | पदोन्नति की तिथि Date of Promotion |
|----------------|------------------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 1 | श्री बल्लू सिंह Sh. Ballu Singh | 8327578 | कार्यालय लेखाधिकारी भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून AOIMA Dehradun | 15.07.2016 |

2. उपरोक्त वर्णित कार्मिक, जो कि पर्यवेक्षक(लेखा) के पद पर पदोन्नत किये जा रहे हैं केवल नियमित कार्यों में नियोजित किये जाने चाहिए (जैसे कि गैर तकनीक व गैर -प्रशासनिक कार्य) तथा वे सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह नहीं होंगे।

The individuals as shown above who are being promoted to the grade of Supervisor (A/Cs) should be employed on routine work (i.e. non technical work/ non-administrative work) only and they will not be entitled for promotion to the grade of AAO.

3. उक्त कर्मचारी पदोन्नति पर कार्यग्रहण की तिथि से एक माह के अंदर वेतन नियतन के विकल्प का चयन कर सकते हैं। ऐसा न करने पर यह मान लिया जायेगा कि उन्होंने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.04.99 के कार्यालय ज्ञापन सं- 1/12/97 स्था(वेतन-1) और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के दिनांक 13.09.2008 के स्पष्टीकरण सं- 2- एफ सं 1/1/2008-आई सी के अनुसार पदोन्नति की तिथि से वेतन नियतन का चयन कर लिया है।

The individual may exercise their option for fixation of pay within one month from the date of assumption of charge on promotion failing which they will be deemed to have opted for fixation of pay w.e.f. the date of promotion in terms of DOP&T OM No 1/12/97 Estt (pay-I) Dt. 23/04/99 and Notification No. 2 of Govt. of India, Ministry of Finance F. No I/1/2008-IC dated 13/09/2008.

संचिका सं.- प्रशा/IV/1094/XVIII दि. 21.07.2016
File No. AN/IV/1094/XVIII dt. 21.07.2016

— ५ —

प्रवीण रंजन
समूह अधिकारी(प्रशा)

प्रतिलिपि

Copy To:

1. रक्षा लेखा महा नियंत्रक, उलान बटार रोड, पालम दिल्ली कैंट-10(AN-XI & IX) - सूचनार्थ
2. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(पेंशन) , द्रौपदी घाट, इलाहाबाद -सूचनार्थ
3. प्रभारी अधिकारी प्रशा-I, प्रशा-II, प्रशा-III, प्रशा-V, प्रशा-VI (स्थानीय) -आवश्यक कार्यवाई हेतु
4. प्रभारी अधिकारी कार्यालय लेखाधिकारी भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून -आवश्यक कार्यवाई हेतु
5. रक्षक संचिका
6. प्रभारी अधिकारी कार्यालय स्वचालन कक्ष -आवश्यक कार्यवाई हेतु



ए.के.राणा
व.लेखाधिकारी(प्रशा)